



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

दुर्लभ एवं प्रतिबंधित प्रजाति के वन्यजीव कछुओं की अंतर्राज्यीय तस्करी अवैध व्यापार में शामिल आरोपी की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर से खारिज

प्रेस विज्ञप्ति (75/26, दिनांक 29.09.2026)

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF), क्षेत्रीय इकाई इंदौर द्वारा अंतर्राज्यीय स्तर पर जलीय वन्यजीवों की अवैध तस्करी करने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ की गई कार्रवाई में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, इंदौर के द्वारा वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3951/02 में शामिल मुख्य आरोपी कमल मेहता की नियमित जमानत याचिका (BA 64259/2026) को निरस्त कर दिया गया है।

दिनांक 19 अगस्त 2026 को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (STSF) इंदौर की टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर तीन इमली चौराहा, इंदौर से आरोपी रोहन और केशव को गिरफ्तार किया था। उनके कब्जे से 30 नग जीवित दुर्लभ एवं प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए (विभिन्न प्रजातियों के) जप्त किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपियों से मिली जानकारी के आधार अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा हुआ और कनाड़िया रोड स्थित 'श्री पेट शॉप' (आरोपी कमल मेहता के परिसर) की तलाशी ली गई। वहां से अनुसूची-I एवं II के तहत संरक्षित एक इंडियन स्टार टॉरटोइस (Indian Star Tortoise) तथा एक रोज रिंग पैराकेट (Rose-ringed Parakeet) पक्षी बरामद किया गया। प्रकरण में अब तक आरोपी कमल मेहता और उसके अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों के कब्जे से कुल 33 नग जीवित दुर्लभ एवं प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए जप्त किए जा चुके हैं। इस गिरोह के तार मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं।

आरोपी कमल मेहता के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, 39, 44, 48(ए), 49(बी), 51 एवं 52 के तहत अपराध पंजीबद्ध है। एसटीएसएफ द्वारा आरोपी को 23 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

एसटीएसएफ (STSF) की ओर से माननीय माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर में सशक्त पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आरोपी एक संगठित अंतर्राज्यीय वन्यजीव तस्करी गिरोह का हिस्सा है। जमानत मिलने पर आरोपी द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित करने, विवेचना में बाधा डालने की प्रबल संभावना है।

माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर ने प्रकरण में दुर्लभ वन्यजीवों की अंतर्राज्यीय तस्करी की गंभीरता और आरोपी की प्रथमदृष्ट्या संलिप्तता को देखते हुए दिनांक 28.09.2026 को आरोपी कमल मेहता की जमानत याचिका निरस्त करने का आदेश पारित किया। प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल